MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE, AMBEDKAR NAGAR

AND

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT UTTAR PRADESH

Scanned with OKEN Scanner

महिला कल्याण विभाग, जनपद अम्बेडकरनगर तथा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज अम्बेडकरनगर के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU)

भूमिका (Preamble)

महिला कल्याण विभाग, जनपद अम्बेडकरनगर (प्रथम पक्ष) (आगे "विभाग" कहलाएगा) तथा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज अकबरपुर अम्बेडकरनगर (द्वितीय पक्ष) (आगे "इंजीनियरिंग कालेज" कहलाएगा) के मध्य यह समझौता ज्ञापन (MoU) बच्चों के समग्र विकास एवं छात्रों के शैक्षणिक–व्यावसायिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संपन्न किया जा रहा है।

वर्ष 1989 में शासन स्तर पर एक अलग महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया, उसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समन्वय एवं महिलाओं के विकास हेतु पृथक से महिला कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 1989–90 में की गयी।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त, सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं देखरेख एवं सरंक्षण की आवश्यकता वाले एवं विधि के साथ संघर्षरत बालक/ बालिकाओं को विविध प्रकार की आवासीय सुविधा, आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरूतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं व बच्चों से सम्बन्धित विषयों पर प्रभावी नीतियों का निर्माण, विभिन्न कानूनों के पालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों को उनके विकास के सर्वांगीण अवसर प्रदान करना, महिलाओं व बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण व संपूर्ण विकास हेतु उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्हें संस्थागत एवं गैर संस्थागत समर्थन प्रदान करना, विभाग के कार्यों में प्रमुखता से सम्मिलित है।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज अम्बेडकरनगर में नवोन्मेषी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में अग्रणी इंजीनियरिंग कालेज है।

इंजीनियरिंग कालेज एक प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान है, जिसका दृष्टिकोण (Vision) मानवता को आलोकित एवं सशक्त करना है, ताकि भविष्य के नेता और परिवर्तनकारी एजेंट तैयार किए जा सकें, जो सार्वभौमिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान दें।

इसका मिशन वैश्विक मानकों के अनुरूप शैक्षणिक उत्कृष्टता, प्रौद्योगिकी केंद्रित शिक्षण, सशक्त शोध पारिस्थितिकी तंत्र, संस्थागत विशिष्टता और सामाजिक विविधता में सामंजस्य की दिशा में सतत उत्कृष्टता प्राप्त करना है।

महिला कल्याण विभाग द्वारा बाल संरक्षण एवं कल्याण के अंतर्गत विभिन्न Child Welfare Committee (CWC) का संचालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, सहयोगी एवं विकासोन्मुख वातावरण प्रदान कराना है। इंजीनियरिंग कालेज सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, प्रबंधन एवं अन्य विषयों में अध्यापन, शोध एवं कौशल विकास का केंद्र है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः यह MoU दोनों संस्थानों की क्षमताओं को साझा कर बच्चों के समग्र विकास के साथ–साथ छात्रों के शैक्षणिक, शोध एवं करियर अवसरों का विस्तार सुनिश्चित करेगा।

उद्देश्य (Objective)

- इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों को प्रायोगिक शिक्षा, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप एवं शोध अवसर उपलब्ध कराना तथा देश के जिम्मेदार नागरिक होने का भाव पैदा करना।
- विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु इंजीनियरिंग कालेज से शैक्षणिक एवं शोध सहयोग प्राप्त करना।
- बच्चों और छात्रों दोनों के व्यक्तित्व, नेतृत्व एवं रोजगारपरक कौशल का विकास करना।
- दिव्यांग बच्चों सहित समस्त बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें उचित सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

सहयोग के क्षेत्र (Areas of Collaboration)

1. शैक्षणिक सहयोग

- बच्चों को विषय–विशेष (गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि) में सहयोग।
- विद्यार्थियों द्वारा होमवर्क, परीक्षा–तैयारी एवं पुस्तकालय उपयोग में मदद।
- विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन (वित्तपोषित)।
- छात्रों को विभागीय कार्यालयों एवं परियोजनाओं में इंटर्नशिप का अवसर।
- विभाग द्वारा कॉलेज को अनुसंधान परियोजनाएँ (Research Projects) में वरीयता देना।

2. खेल एवं शारीरिक विकास

- बच्चों हेतु खेल गतिविधियाँ (इनडोर/आउटडोर गेम्स)।
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक जागरूकता कार्यक्रम।
- विद्यार्थियों को आयोजन एवं प्रबंधन में अनुभव प्राप्त करने के अवसर।

3. कला, संस्कृति एवं सृजनात्मक गतिविधियाँ

- संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, साहित्यिक कार्यक्रम।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों और छात्रों की संयुक्त भागीदारी।

4. जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास

- संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता एवं समय प्रबंधन प्रशिक्षण।
- समस्या–समाधान एवं निर्णय क्षमता विकसित करने वाली गतिविधियाँ।
- विभागीय सहयोग से छात्रों के लिए व्यक्तित्व एवं रोजगारपरक कार्यक्रम।

5. स्वास्थ्य एवं पोषण

- नियमित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर।
- पोषण एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता।

Scanned with OKEN Scanner

- मानसिक स्वास्थ्य एवं काउंसलिंग सत्र।

6. **व्यावसायिक एवं डिजिटल शिक्षा**
- कंप्यूटर प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग, बुनियादी IT स्किल्स।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण (सिलाई, क्राफ्ट, ब्यूटी/वेलनेस, ग्राफिक डिजाइन आदि)।
- विद्यार्थियों को विभागीय कार्यक्रमों में पायलट प्रोजेक्ट्स पर कार्य का अवसर।

7. **करियर मार्गदर्शन एवं भविष्य निर्माण**
- उच्च शिक्षा एवं करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग।
- सफल प्रशिक्षण इंटर्नशिप के बाद MSW, MPH आदि विद्यार्थियों को विभागीय प्लेसमेंट में प्राथमिकता।
- पूर्व छात्रों (Alumni) एवं विशेषज्ञों से इंटरैक्शन।

8. **सामाजिक एवं सामुदायिक सहभागिता**
- विद्यार्थियों द्वारा वॉलंटियरिंग एवं मेंटरशिप।
- "एक छात्र–एक बालक" योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत सहयोग।
- विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु इंजीनियरिंग कालेज को Social Impact Audit Projects आदि में वरीयता देना।

विभाग के दायित्वः–
- बच्चों के कार्यक्रमों के साथ छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियाँ एवं सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- इंजीनियरिंग कालेज को शोध एवं Social Impact Audit परियोजनाएँ देना।

इंजीनियरिंग कालेज के दायित्वः–
- छात्रों एवं फैकल्टी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- गतिविधियों की गुणवत्ता एवं अनुशासन बनाए रखना।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act), लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन करना।
- विभाग को समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।
- इंजीनियरिंग कालेज सुनिश्चित करेगा कि उसके विद्यार्थी प्रति सप्ताह दो दिन CWC अथवा विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय कार्य (Field Work) के लिए जाएँ।

संयुक्त दायित्वः–
- त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- उत्कृष्ट कार्यों एवं सहभागिता को मान्यता देना।

Scanned with OKEN Scanner

- कार्यक्रमों की निरंतरता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना।
- समस्त क्रियाकलाप निःशुल्क सम्पादित किये जाएंगे, जिसमें इन्टर्नशिप स्नातकोत्तर के अन्तिम सेमेस्टर इत्यादि के छात्र सम्मिलित होंगे।
- सेवानिवृत्त प्रोफेसर यदि इच्छुक हों, तो उनको भी शामिल किया जा सकता है।

अवधि एवं प्रभावशीलता

- यह MoU हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
- आपसी सहमति से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

आच्छादित जनपद–अम्बेडकरनगर।

विवाद समाधान

- यह MoU केवल आपसी सहमति एवं सहयोग के लिए है, किसी भी विवाद का समाधान आपसी संवाद एवं सहमति से किया जाएगा।
- यह किसी कानूनी बाध्यता का निर्माण नहीं करेगा, जब तक दोनों पक्षों द्वारा पृथक समझौता न किया जाए।

प्रथम पक्ष

(राकेश कुमार)
जिला प्रोबेशन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

द्वितीय पक्ष

(प्रो0 धनन्जय सिंह)
निदेशक
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज,
अम्बेडकरनगर।

Director
Rajkiya Engineering College
Ambedkar Nagar U.P.

गवाह

गायत्री सिंह
जेन्डर स्पेशलिस्ट (प्रोबेशन आफिस)
अम्बेडकरनगर।

डा० सूर्य प्रकाश सिंह
सह आचार्य, विद्युत अभियंत्रण विभाग।
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज,
अम्बेडकरनगर।

मंजू यादव
आउटरिच वर्कर (प्रोबेशन आफिस)
अम्बेडकरनगर।

डा० शरद वर्मा
सहायक आचार्य,सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज,
अम्बेडकरनगर।

स्थान–अम्बेडकरनगर।
तिथि–16.10.2025

स्थान–अम्बेडकरनगर।
तिथि–16.10.2025

Scanned with OKEN Scanner